संख्याः / XVII–3 / 2017–07(22) / 2009

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग   देहरादूनः   दिनांकः 03 फरवरी ~~जनवरी~~, 2017

विषयः–एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत स्थापित आई0टी0 इनैबल्ड सैल हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अवमुक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1294 / नि.अ.क. / IT Cell-Budget / 2016–17, दिनांक 03.01.2017, वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 847 / XXVII-I / 2016, दिनांक 26.07.2016 तथा शासनादेश संख्याः 1097 / XXVII-I / 2016, दिनांक 20.09.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3 / 22 / 2008-UK-पी0पी0–I, दिनांक 23 / 26.12.2016 के द्वारा एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत स्थापित आई.टी. इनैबल्ड सैल में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामरों के वित्तीय वर्ष 2015–16 के लम्बित मानदेय, स्टेशनरी, टेलीफोन तथा यात्रा व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 7,45,200 /–के सापेक्ष ₹ 6,08,400 /– (₹ छः लाख आठ हजार चार सौ मात्र) को एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3 / 22 / 2008-UK-पी0पी0–I, दिनांक 23 / 26.12.2016 में दिये गये समस्त निर्देशों एवं एम0एस0डी0पी0 की गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि उक्त कार्मिकों को भारत सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में विभाग की अन्य योजनाओं से धनराशि की भुगतान किया गया हो, तो सर्वप्रथम उसका समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वित्त अनुभाग के उक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा।
4. उक्त मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
5. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
7. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NIC

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 'आयोजनागत' के "लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र पुरोनिधानित योजनाऐं–01–अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना" के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या S17021500025, दिनांक 03 जनवरी, 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 26.07.2016 एवं 20.09.2016 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 34 (1)/XVII-3/17-07(22)/09 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3/22/2008-UK-पी0पी0–I, दिनांक 23/26.12.2016 के क्रम में।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/उधमसिंहनगर।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. नोडल अधिकारी, आई0टी0 इनेबल्ड सेल, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।